भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 636
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

बाल विवाह का प्रतिषेध

636. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक निकायों सहित अनेक हितधारकों ने बाल विवाह प्रतिषेध(संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में आपत्ति व्यक्त की थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बाल विवाह की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेपों की निगरानी हेतु एक वैश्विक संचालन समिति ने भारत का दौरा किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण देश में बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ) : सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र पुरुषों की शादी की उम्र के बराबर करने लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के लिए संसद में 21.12.2021 को 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' नाम से एक विधेयक पेश किया है। विधेयक को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति (ईडब्ल्यूसीवाईएस) को जांच के लिए भेजा गया है।

जहां तक बाल विवाह की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेपों के संबंध में गवाही के लिए वैश्विक संचालन समिति के भारत दौरे की बात है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस समिति की स्थिति और अधिदेश से अवगत नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या पर डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2021 तक की उक्त रिपोर्ट उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में दर्ज बाल विवाह के मामलों की संख्या क्रमश: 523, 785 एवं 1050 है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं । कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक लगाने सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) की धारा 16 सरकार को पूरे राज्य या उसके ऐसे हिस्से के लिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है एक अधिकारी या अधिकारियों जिनके पास अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर अधिकार हैं , जिसे 'बाल विवाह निषेध अधिकारी (पीसीएमओ)' के रूप में जाना जाएगा को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती है। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करता है, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई करना जो वे उचित समझें; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों को सलाह देना या इलाके

के निवासियों को सलाह देना कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता करने या अनुमति देने में शामिल न हों; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना भी शामिल है। ये प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी उनकी है।

केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, मीडिया में अभियान और अभियान और आउटरीच कार्यक्रम भी चलाती है और इस अभ्यास के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ शासित क्ष्ेत्रोंको सलाह जारी करती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ति' को लागू करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक स्कीम है। 'मिशन शक्ति' की 'संबल' उप-योजना के 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी)' घटक के तहत, लैंगिक समानता और बाल विवाह को हतोत्साहित करने से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श आयोजित करता है। इसके अलावा, भारत सरकार शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन चला रही है, जो संकट में बच्चों के लिए एक 24X7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है जो बच्चों की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पुलिस, सीएमपीओ, जिला बाल संरक्षण इकाइयां आदि के समन्वय से कॉल करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप का जवाब देती है, जिसमें बाल विवाह की रोकथाम शामिल है।

******